समाहरणालय मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक–11.01.2016 के 4.30 बजे अपराह्न में मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा विभागीय निदेश(सामान्य प्रशासन विभाग) पढ़कर सुनाया गया। जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ निम्नांकित विवरणी के अनुरुप प्राप्त आवेदन पत्रों/ अभिलेखों को उपस्थापित किया गया :–

01.	समाहरणालय संवर्ग :–	04
02.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा :–	01
03.	जिला समादेष्टा कार्यालय, मधेपुरा :–	01
04.	लधु सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज :–	01
05.	जिला प्रोग्राम शाखा, मधेपुरा :–	02
06.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) कार्यालय, मधेपुरा :–	01
07.	जिला अवर निबंधक कार्यालय, मधेपुरा :–	01
	कुलयोग :–	11(ग्यारह)

क्र0	आवेदक का नाम	पिता/माता/पति का नाम/ पदनाम / कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक–11.01.2016 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
1	सुश्री स्वाती स्वरुप	स्व0 अरूण कुमार ठाकुर, निम्न वर्गीय लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, मुरलीगंज	पूर्व में दिनांक–18.04.2015 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदिका से कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा ली गयी, परन्तु वे अनुत्तीर्ण रही। इस संदर्भ में सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–8082, दिनांक–05.06.15 द्वारा संसूचित है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–5958, दिनांक–25.04.12 की कंडिका ''ख'' में वर्णित प्रावधान के अनुसार ''अनुकम्पा समिति द्वारा उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति/ अनुशंसा का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा /नियुक्ति के पूर्व लिखित जाँच परीक्षा एवं टाईपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है।'' फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदिका को समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
2	श्री उज्जवल कुमार	स्व0 दिनेश कुमार कर्ण, भूतपूर्व कोष रक्षक, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज	पूर्व में दिनांक–18.04.2015 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आवेदक से कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा ली गयी, परन्तु वे अनुत्तीर्ण रहे। इस संदर्भ में सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–8082,

			दिनांक-05.06.15 द्वारा संसूचित है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-5958, दिनांक-25.04.12 की कंडिका "ख" में वर्णित प्रावधान के अनुसार "अनुकम्पा समिति द्वारा उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति/अनुशंसा का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा /नियुक्ति के पूर्व लिखित जाँच परीक्षा एवं टाईपिंग टेस्ट लेने का कोई प्रावधान नहीं है।" फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को **समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा** करने का निर्णय लिया गया।
3	मसो0 उषा रानी ठाकुर	स्व0 स्व0 आमोद रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी।	पूर्व में दिनांक-18.04.2015 को आयोजित अनुकम्पा समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलाके में विभाग से उम्र क्षान्त करने संबंधी निदेश की माँग की गयी थी, वांछित निदेश सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक- 6007, दिनांक -21.04.15 से फैक्स द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें विभागीय पत्रांक-15668, दिनांक-17.11.14 की प्रति संलग्न करते हुए अग्रतर अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। विभागीय पत्र सं0-15668, दिनांक-17.11.14 में अंकित किया गया है कि विभागीय पत्र सं0-8093, दिनांक-25.07.1998 के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में बिहार सेवा संहिता के नियम-54 के परिशिष्ट-1 के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने के लिए विभागाध्यक्ष/ विभाग को विशेष परिस्थिति में जो प्रावधान है उसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में लागू समझा जाय, बशर्त्ते कि आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत किया गया हो। इस संदर्भ में विचारोपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि **सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार से नियमानुसार उम्र क्षान्त कराने की कार्रवाई की जाय।** तत्पश्चात् अनुकम्पा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
4	श्री राकेश आनन्द	स्व0 मुरलीधर चौधरी, भूतपूर्व सिपाही, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा।	पूर्व में दिनांक-18.04.2015 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-509, दिनांक-24.07.15 से प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मृत सिपाही मुरलीधर चौधरी के आवासीय पता पर जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गयी। स्थानीय सरपंच श्री भीम ना0 पंडित एवं मुखिया श्री गणेश बढई ने बताया कि मृत सिपाही मुरलीधर चौधरी को एक ही पुत्र है, जिसका नाम श्री राकेश आनंद है जिसे राहुल कुमार चौधरी के नाम से भी जानते है। श्री राकेश आनंद द्वारा समर्पित शपथ पत्र, जो कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत है, से भी इनके दो नाम होने के प्रमाण है। इसके अतिरिक्त श्री राकेश आनंद के मैट्रिक का संशोधित मूल प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक की **नियुक्ति समूह'घ' (चतुर्थ वर्ग) में करने हेतु नियोक्ता को अनुशंसा** करने का निर्णय लिया गया।
5	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	स्व0 अनिल कुमार पाण्डेय, भूतपूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	पूर्व में दिनांक-18.04.2015 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आचरण एवं आय प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया था। आवेदक द्वारा आचरण

			एवं आय प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। विचारोपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को **समूह'ग' में नियुक्ति हेतु नियोक्ता को अनुसंशा** करने का निर्णय लिया गया।
6.	श्री अभिनव चतुर्वेदी	स्व0 माधव प्र0 चतुर्वेदी, भूतपूर्व राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, चौसा	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को **समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा** करने का निर्णय लिया गया।
7.	श्री अजय कुमार	स्व0 नवल किशोर साह, भूतपूर्व लिपिक-सह-टंकक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, कुमारखण्ड	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का मध्यमा का मूल प्रमाण पत्र तथा इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र अप्राप्त है। चूँकि समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **उक्त दोनों शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।**
8	श्री रवि रंजन	स्व0 राजकिशोर सिंह, भूतपूर्व लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का इन्टर का मूल प्रमाण पत्र अप्राप्त है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **आवेदक से इन्टर का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।**
9	श्री वीरजी	स्व0 कुलानन्द सिंह, भूतपूर्व सिपाही, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मधेपुरा	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु सभी अर्हता पूरी करते है। फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को **समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोक्ता को अनुशंसा** करने का निर्णय लिया गया।
10	श्री सचिन कुमार	स्व0 अशोक कुमार प्रसाद, भूतपूर्व कार्यालय अधीक्षक, जिला अवर निबंधक कार्यालय, मधेपुरा।	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का इन्टरमीडिएट का औपबंधिक प्रमाण पत्र है तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एवं डिग्री का प्रमाण पत्र प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **आवेदक को समूह'ग'(तृतीय वर्ग) में नियुक्ति हेतु अनुशंसा** इस शर्त्त के साथ की जाती है कि नियोक्ता नियुक्ति के पूर्व आवेदक से इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही नियुक्ति की अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।
11	श्री राजकुमार	स्व0 हरेराम सिंह, भूतपूर्व प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुमारखण्ड	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का आचरण प्रमाण पत्र एवं इन्टरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र अप्राप्त है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों प्रमाण पत्र की माँग आवेदक से की जाय।

शर्त्ते :- सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त अनुशंसित आवेदक/आवेदिका को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नांकित तथ्यों पर अवश्य संतुष्ट हो लेगें :-

01. आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात / प्रमाण पत्र इत्यादि का सत्यापन कराने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगें।

02. आवेदक / आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेगें कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारवास का दंड नही दिया गया है तथा अपराधिक मामला उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है, जिसमें उन्हें मृत्यु दंड अथवा कारावास की सजा देने का संभावना है अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा इससे अधिक दंड दिया जा सकता है।

03. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक / आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है तो संबंधित आवेदक /आवेदिका की नौकरी समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा प्राप्त वेतन की वसूली की जायेगी।

04. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति यदि मृतक के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नही करेंगे, तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।

05. नियुक्ति पाने वाले आवेदक / आवेदिका से उनकी सम्पति का ब्यौरा भी प्राप्त कर लिया जाय।

06. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पाने वाले आवेदक / आवेदिका को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि दूसरी शादी विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही करेंगे।

07. नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगें कि नियुक्त होने वाले कर्मचारी विवाह में किसी प्रकार दहेज नही लेगें।

08. नियुक्ति के पूर्व संबंधित आवेदक / आवेदिका से असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगें।

नियुक्ति पदाधिकरी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु संगत प्रावधानों के आलोक में आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात/प्रमाण पत्र की जाँच/सत्यापन अपने स्तर से करने के उपरान्त व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेगें।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 60-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 19.01.2016

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा/ उपायुक्त, वाणिज्यकर, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा/जिला अवर निबंधक, मधेपुरा/ अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णिया/ समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।